

निम्नलिखित
प्रकार के अर्थात्
(नियम - 28)

कार्य अर्थात्

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

नीमकाथाना

भीरा कवर

बनाम

कवर पाल सिंह वगैरे
मुकाम 856 सप् 2023 जीसीएमएस नं.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत विवेकाधीन


मुकाम या कार्यवाही मध्य इन्डियन लॉज

नम्बर व तारीख
अर्थात् जो इस मुकाम
की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री रामजीलाल
शुक्ल एलवोकैट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया
जावे। नवीन प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है,
तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर
प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम
अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकरिमकता को देखते
हुए एवं प्रार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को जबाब पेश किये
जाने तक उभय पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द
किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1684, 1689, 1690
किन्ता 03 रकबा 2.06 हैक्ट अवस्थित ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का
पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये
रखे।

उक्त अन्तरिम टी.आई.आदेश सीमाज्ञान / पत्थरगढी के विधिक
आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत
कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नहीं होगी।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की
तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को
प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से
भिजवाना सुनिश्चित करे तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र
भी प्रस्तुत करे। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा
एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के
तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा
प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार
अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा
आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा
अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व
न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा
जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में
परिवर्तन की दशा में संशोधन / वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थी को जरिये
रजि. नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.11.2023
को पेश हो।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)



19/12/23
पत्रावली पत्र पूर्व। मजदूरीय पत्र।
प्र.प्र. शासन भूतल कारी से कर्मचारी
कोई से मजदूरीय पूर्वमार्गमार्ग
विषयक 19/12/23 को पत्र ही।

19/12/23
पत्रावली पत्र पूर्व। मजदूरीय पत्रावली
प्र.प्र. शासन भूतल कारी से कर्मचारी
पत्रावली पूर्व मजदूरीय विषयक 19/12/23
को पत्र ही।

19/12/24
पत्रावली पत्र पूर्व। प्रार्थना व मजदूरीय पत्रावली
कार-कार शासन कार्यालय प्रार्थना। शासन कार्यालय
उपरान्त ही प्रार्थना व मजदूरीय पत्रावली
पत्रावली दिनांक 21/12/2024 को पत्र ही।

21/12/24
पत्रावली पत्र पूर्व। प्रार्थना व मजदूरीय पत्रावली
कार-कार शासन कार्यालय प्रार्थना। शासन कार्यालय
के उपरान्त ही प्रार्थना की ओर ले कोई उपस्थित।
मही जाण। अतः प्रार्थना का प्रारंभ का प्रार्थना
विषयक अटक हाजरी अटक चेंदनी में-कार्यक्रम
जात ही प्रार्थना केवल प्रार्थना होकर प्रार्थना के
कर होकर प्रार्थना दायित्व ही।

प्रार्थना
प्रार्थना
प्रार्थना